Uttarakhand Shakti, October 15-November 15, 2005



# खड़िया खनन ने उजाड़े खेत खलिहान

● महेश जोशी

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बेरोक टोक हो रहे खड़िया खनन से यहां के लोग दहशत में हैं। नियम कानूनों को ताक पर रखकर खनन व्यवसायी अकूत धन संपदा अर्जित करने की होड़ में संवेदनशील पहाड़ों की कोख को क्षत-विक्षत करने में लगे हुए हैं। तमाम प्रभावशाली लोगों के इस धंधे में लिप्त होने से एकदम निचले स्तर तक खनन में लगे लोगों का मजबूत नेटवर्क बन गया है, जिसे भेदना प्रशासन के लिए संभव नहीं लगता।

अस्सी के दशक में खनन व्यवसायियों ने बागेश्वर (तब अल्मोड़ा) जिले में घुसपैठ शुरू की थी। यहां के बाशिंदों को तब कतई यह आभास नहीं था कि खनन व्यवसाय भविष्य में इतना विकराल रूप ले लेगा। कुछ ही वर्षों में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। तब क्षेत्र में जागरूक संगठनों तथा लोगों ने इसका विरोध किया था। किंतु इस व्यवसाया में बड़ी पूंजी वाली बाहर की कंपनियों और राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रभावशाली लोगों के जुड़ने से अधिकांश क्षेत्रों में विरोध के स्वर ठंडे पड़ गए। वर्तमान में तुपेड़, झारकोट, छातीखेत, दोफाड़, रीमा, किड़ई, काण्डा, मनकोट, धपोलासेरा आदि कई गांवों में हो रहे खनन से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण को जबरदस्त क्षति पहुची है। सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम सामने आये हैं। इस व्यसाय में आसानी से आ रहा पैसा व्यक्ति को श्रम से विमुख कर रहा है और राह से भटका रहा है। शराबखोरी तथा तद्जनित अपराधों के साथ ही रिश्तों में कटुता बढ़ रही है। कुछ चुनिंदा लोगों में ही संपन्नता आ रही है। लेकिन लंबी अवधि में पारिस्थितिकीय तंत्र के बुरी तरह प्रभावित होने से भविष्य असुरक्षित हो गया है।

सन् 1973 में तत्कालीन अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर तहसील में सबसे पहले जे सी तिवारी हल्द्वानी (नैनीताल) ने काण्डा क्षेत्र में खनन का पट्टा प्राप्त किया था। 1982 में कोलकता की एनएस कारपोरेशन ने नाकुरी पट्टी के रीमा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता व ठेकेदार मंगल सिंह ऐठानी ने कपकोट विकासखंड के मल्लादानपुर में चौड़ा स्थल के 85 हेक्टेयर गोचर भूमि में खनन शुरू किया। फरसाली में वर्तमान कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश कुंजवाल व पिथौरागढ़ के किसी पाठक ने लीज स्वीकृत करा ली। बसकूना में कानपुर के कटियार माइंस ने तो गडेरा में हल्द्वानी तिवारी बंधुओं ने लीज स्वीकृत कराकर खड़िया खनन शुरू कर दिया। जल्दी ही खनन से जल स्रोत, कृषि भूमि, गोचर व क्षेत्र का वातवरण प्रभावित होने लगा। ग्रामीण उत्थान समिति कपकोट के उमेश जोशी की पहल पर लक्ष्मी आश्रम कौसानी की राधा बहन, लोक चेतना मंच के नरेंद्र रौतेला आदि के साथ जागरूक ग्रामीणों द्वारा खड़िया खनन के खिलाफ आवाज उठाई गई। ग्रामीण चेतना मंच चौड़ा स्थल ने खनन के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया, जो आज भी जारी है। मल्ला दानपुर की 27 ग्रामसभाएं इस आंदोलन से जुड़ी हैं। अन्य संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। जन दबाव के कारण तब चौड़ा स्थल समेत पांच खड़िया खानें बंद कर दी गई थी। लेकिन चौड़ा स्थल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पुन: बेरोकटोक खनन शुरू हो गया है।

पूरे जिले में इस समय 7 प्रास्पेक्टिंग लाइसेंसधारी (पीएल) तथा 42 खनन पट्टाधारी (एमएज)कार्यरत हैं। पीएल एक से पांच वर्ष तक के लिए मिलता है। इस बीच खनन नियमों के तहत संपूर्ण जांच/परीक्षण सही पाये जाने पर एमएल यानी खनन लीज कम से कम 20 वर्ष के लिए स्वीकृत होता है। खनन एक्ट के अनुसार पीएल के दौरान 50 टन माल की निकासी का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। एमसीआर 1960 के तहत जिलाधिकारी 200 टन खनिज की निशुल्क निकासी स्वीकृत कराने को सक्षम हैं। वर्तमान में 17 लीज पट्टे जिला स्तर पर विचाराधीन हैं और तीन खनिज पट्टे नवीनीकरण की प्रतिक्षा में हैं, जबकि पीएल 139 हैं। लोगों का मानना है कि पूरे जिले में करीब डेढ़ दो सौ खड़िया खानें चल रही हैं। जिनमें अधिकांश अवैध हैं और खनन नियमों का खुला उल्लंघन कर रही हैं। जनपद में हो रहे कुल खनन से सरकार को 23 सितंबर 2005 तक (6 माह में) 9479777 रुपये रायल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं, जबकि विगत वर्ष 11622904 रुपये रायल्टी के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन

इस धनराशि से खनन प्रभावित क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं मिला। अवैध रूप से बाहर जा रही खड़िया के अलावा लीज प्राप्त करने, खनन निकासी व तौल में हो रही गड़बड़ी में जो भारी लेन देन होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

खड़िया क्षेत्रों को सोने का अंडा समझकर खनन व्यवसायी निरंकुश तरीके से इसका दोहन कर रहे हैं। यह इन शांत वादियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। खनन से मिलने वाले धन की लालसा में काश्तकार अपने खेत, खलिहान, जंगल, पनघट मे खड़िया खनन कराने को मजबूर हैं। जिस तरह अंग्रेजों के राज में जगह-जगह उपनिवेश कायम कर ठेकेदारों के हवाले गांव कर दिये गये थे, ठीक उसी अंदाज में बड़े खनन व्यवसायियों ने यहां के गांवों में उपनिवेश कायम कर लिये हैं। स्थानीय कुछ लोग इनकी दलाली कर रहे हैं। काश्तकार अपने खेत और जमीन उन्हें देने को मजबूर हो जाते हैं। अपनी जमीन न देने वाले के लिए इधर खाई उधर कुआ है। वे अपनी व्यथा किससे कहें? पटवारी से लेकर जिला स्तर तक के अधिकांश कर्मचारी अधिकारी इस व्यवसाय में लगे लोगों से धन प्राप्त कर रहे हैं, वे ग्रामीणों के मददगार कैसे हो सकते हैं? यही हाल शासन में बैठे उच्चाधिकारियों और नेताओं का भी है। राज्य की कोई खनन नीति बनने में देरी कर वे इसका जमकर दुरुपयोग कर लेना चाहते हैं।

**गड़िया के अनुसार खनन कार्य नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। खनन से बने गड्ढों को न पाटा जा रहा है और न पौध रोपण किया जा रहा है। सबकुछ मात्र दिखाने को कागजों में चल रहा है। ऊपर की ओर इशारा कर वे बताते हैं कि उद्यमस्थल स्थित जूनियर हाईस्कूल का शौंचालय खड़िया खनन के बाद हुए भूस्खलन से ढहने की स्थिति में है।**

नाकुरी पट्टी के दोफाड़-रीमा क्षेत्र को ही लें। प्राकृति सौंदर्य से भरपूर कृषि वन संपदा का धनी पर्यावरण के प्रति सजग और अपनी विशिष्ट परंपराओं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र खड़िया खनन से क्षत विक्षत हो गया है। क्षेत्र में तमाम अपराध बढ़ने लगे हैं। यहां के मेलों, उत्सवों में शराबियो और अपराधियों का शिकंजा कसने लगा है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से 5 किमी दूर बालीघाट-दोफाड़-रीमा-धरमघर मोटर मार्ग निर्माण के साथ ही 1982 में खड़िया व्यवसायी इस क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। वर्तमान में एमएस कारपोरेशन कोलकता, कटियार माइंस कानपुर के अलावा अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ से आये ठेकेदारों के अतिरिक्त कई स्थानीय लोग भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं। कांग्रेस-भाजपा के कई नेता इस व्यवसाय से जुड़े हैं।

खनन से सुरकाली ग्राम सभा स्थित जूनियर हाई स्कूल भूस्खलन की चपेट में है। उधर रैखोला गांव के हरीश सिंह रैखोला का 20 नाली धान की फसल से लहलहाते खेत बारिश के बाद खनन के मलबे से दबकर तबाह हो गया। कई मकान, दुकान और गांव इस खनन की चपेट में है। जगह-जगह खड़िया खनन से बने गड्ढों में भरा पानी व रोखड़ों से तेज वर्षा में बहकर आ रहा मलबा आसपास की जमीन तथा पुगर नदी के किनारे कृषि भूमि को तबाह कर रहा है। जगह-जगह जमीन धंसने से लोग भविष्य में होने वाली तबाही की आशंका से दहशत में हैं। सुरकाली के ग्राम प्रधान योगेश सिंह हरड़िया बताते हैं खनन से कृषि भूमि खत्म हो रही है। सुरकाली के ही दिनेश सिंह बतोते हैं कि खड़िया खनन ने यहां के लोगों को पंगु बना दिया है। जिन काश्तकारों के खेतों में खड़िया निकल रही है, उनका ध्यान खेती या पशुपालन से हटने लगा हैं। इस इलाके में धान, मडवा, भट, गहत, गेहूं, जौ, मसूर, आलू, गोभी, टमाटर आदि सब्जी और फल फूलों का उत्पादन बहुतायत से होता रहा है। यही यहां के लोगों की आजीविका का साधन है। लेकिन खनन व्यवसाय ने इस परंपरागत खेती को चौपट कर दिया है।

अब सवाल उठने लगे हैं कि जब खड़िया खानों से खड़िया निकलनी बंद हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे?

गड़िया के अनुसार खनन कार्य नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। खनन से बने गड्ढों को न पाटा जा रहा है और न पौधरोपण किया जा रहा है। सबकुछ मात्र दिखाने को कागजों में चल रहा है। ऊपर की ओर इशारा कर वे बताते हैं कि उद्यमस्थल स्थित जूनियर हाईस्कूल का शौंचालय खड़िया खनन के बाद हुए भूस्खलन से ढहने की स्थिति में है। नियमानुसार गोचर, पनघट, रास्तों, घरों, स्कूलों आदि की सीमा से सौ मीटर के अंदर खनन नहीं होना चाहिए। पर यहां नियमों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है। दूयाली-कुरौली के युवा दुकानदार (बीसा सीमार) मोहन सिंह भौंरियाल खड़िया खनन की खिलाफत करते हुए कहते हैं कि इससे फायदे कम नुकसान ज्यादा है। खड़िया सीजन में 8-10 हजार नेपाली मजदूर जल स्रोतों की निकट खुले में शौच करते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। हजारों मजदूरों द्वारा भोजन बनाने तथा जाड़ों की रात में ठंड से बचने के लिए ईंधन के रूप में पेड़ काटे जा रहे हैं। खड़िया खनन से यहां की हरियाली प्रभावित हो रही है। जंगल पर पड़ रहे अनावश्यक दबाव के कारण वनावरण घट रहा है। स्यौनी गांव स्थित नौले का जिक्र करते हुए वे बताते हैं कि नीचे खड़िया खुदने से नौले का पानी खड़िया खनन की ओर रिसने लगा है। कई अन्य स्रोत भी खनन

से प्रभावित हो गये हैं। गंदगी प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र में डायरिया तथा उल्टी दस्त का प्रकोप बढ़ रहा है। खड़िया खानों से उड़ने वाली धूल व सीजन में खड़िया से भरे ट्रकों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल से कृषि भूमि में धूल की परत जमने लगी है। इससे फसल के साथ-साथ लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। इस तरह के रोगियों को चिकित्सकों को दिखाने की भी यहां कोई व्यवस्था नही है। लोगों को बागेश्वर या अल्मोड़ा ले जाया जाता है। खड़िया ऊष्मा के प्रति संवेदनशील है। इसलिए क्षेत्र का तापमान भी बढ़ने लगा है। पहले इस क्षेत्र की पहाड़ियों में काफी बर्फ गिरती थी, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है।

बैकोड़ी के ग्राम प्रधान कुंजर सिंह रैखोला का मानना है कि खड़िया खनन से इस क्षेत्र का भविष्य दांव पर लग गया है। अब इसे रोक पाना मुश्किल है। खड़िया के खेतों की पूरी बेल्ट होती है। इसलिए जिन खेतों में खनन होता है, उसके ऊपर-नीचे तथा अगल-बगल के खेत मालिकों को मजबूरन खान लगानी पड़ती है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। आपसी रिश्तों में कटुता बढ़ रही है। सामुदायिकता का ह्रास हो रहा है। जो काश्तकार खड़िया बेचकर कुछ पैसा कमा रहा है, वह टिकाऊ नहीं है। अधिकांश पैसा भौतिक संसाधनों को जुटाने में खर्च हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रैखोला गांव के हरीश सिंह रैखोला के विरोध के बावजूद उनके खेत के नीचे जबरदस्त खुदान करने से उनके बीस नाली खेत में खड़ी लहलहाती धान की फसल के साथ खेत भूस्खलन की चपेट में आ गया और पांच नाली खेत मजदूरों को आने जाने से बरबाद हो गया। हरीश ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से एक लाख रुपया ऋण लेकर मकान बनाया था और उसमें दुकान खोली थी। लेकिन खनन से जमीन धंसने के कारण यह भूस्खलन की चपेट में आ गया। वह बताते हैं कि उन्होंने स्थानीय लोगों को संगठित कर खनन का विरोध किया था, लेकिन दबंगों ने संगठन के लोगों को लालच देकर और डरा धमकाकर तोड़ दिया और उसे फंसाने की कोशिश करने लगे। पटवारी को इसकी लिखित सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह डरा सहमा भविष्य को लेकर चिंतित है।

खड़िया खनन का व्यापक सर्वेक्षण करने तथा तमाम लोगों से चर्चा करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ क्षेत्रों इससे लोगों को रोजगार तो मिला है, लेकिन उसमें स्थाइत्व नहीं है। युवा पीढ़ी शिक्षा से वंचित होती जा रही है, जबकि बालिकाओं का शिक्षा स्तर बालकों से अधिक है। जिसके खेतों में खड़िया निकल रही है, उन गांवों में पलायन रुका है, पर उसी अनुपात में सामाजिक बुराइयां भी बढ़ी हैं। नेपाली मजदूरों के प्रभाव से क्षेत्र में कच्ची पक्की शराब के प्रचलन से अपराध बढ़े हैं। पूरी नाकुरी पटटी शराब से पीड़ित है। बिना श्रम के खड़िया खनन से मिल रहे धन से युवा पीढ़ी को पंगु बना दिया है। भौतिक संसाधनों कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल व अन्य घरेलू सजावट के सामानों के अतिरिक्त नशे की ओर लोगों का ध्यान अधिक प्रवृत हुआ है। बैंकिंग को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, जबकि रुपये का आदान प्रदान करोड़ों में हा रहा है। अधिकांश पैसा फिजूल खर्ची में बरबाद हो रहा हैं। अवैध रूप से हो रहे खड़िया खनन से क्षेत्र का वनावरण तथा हरियाली प्रभावित हो रही है। साथ बरसात में हो रहे भूस्खलन से खनन क्षेत्र के आसपास बचे हरे पेड़ भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। खड़िया खनन के बाद आसपास की भूमि में भी फसल नहीं उगती है। खड़िया का मलबा बहले से गाड़ गधेरों में इकट्ठा रेता बजरी तो प्रभावित हो ही रही है, इससे लगी कृषि भूमि भी तबाह हो रही है। खान क्षेत्रों में भारी भरकम टाटा हिमाची की जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और ट्राली द्वारा खड़िया सड़क किनारे पहुंचाई जा रही है। ऐसे में श्रमिकों की आवश्यकता कम होती जा रही है। मजदूरी कई वर्षों से स्थिर है। कुछ स्थानीय दुकानदारों के अतिरिक्त बाहर से मजदूरी करने आए गुलरभोज के शर्मा व बदायूं के दरयान सिह जैसे दुकानदार पनपे तो हैं, लेकिन खड़िया खनन बंद होने के बाद उनका प्रभावित होना स्वाभविक है। (यह आलेख सी.एस.ई. की फैलोशिप के अंतर्गत तैयार किया गया है) □